—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 21/2023

उनवान

1. महावीर सिंह पुत्र छोटू सिंह
2. नरपत सिंह पुत्र राम सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद

——प्रार्थीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. दिलीप सिंह पुत्र उंकार सिंह
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
3. अनिता कंवर वुत्री औंकार सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
4. मैनेजर, बैंक आफॅ बडौदा शाखा राजगढ, नसीराबाद
5. मैनेजर यूनियन बैंक आफॅ इंडिया, शाखा भवानीखेडा,

6.. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——अप्रार्थीगण :— 1 से 4 अनुपस्थित
5 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :—25.10.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के आराजी खसरा नम्बर 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 व गै मु. चाह खसरा नम्बर 2449/3216 आवेदनकर्ता की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2367 रकबा 0.45 का उपयोग करते है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त आवेदनकर्ता के पास अन्य कोई मार्ग राजस्व मानचित्र में नही है। अतः प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 2367 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलववाया जानना न्यायोचित व आवश्यक है तथा वर्तमान मजाबंदी में भी उक्त रास्तें का इन्द्राज करवानें के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपरिथत रहे। तहसीलदार नसीराबाद से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बूबानिया के हाल खसरा न[illegible] 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 व गै.मु. [illegible] 3216 आवेदनकर्ता व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। हाल खसरा नं. 2367 रकबा 0.45 अप्रार्थी संख्या 1 स 3 की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 2365 रकबा 0.80 किस्म गै.मु. रास्ता [illegible] दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनु[illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] पर आवागमन हेतु वर्तमान में कोई मार्ग उपलब्ध नही है। खसरा नम्बर 2367 रकबा 0.45 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:01:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

से 78 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा चाहे गये रास्ते की आत्यतिक आवश्यकता बतायी गयी है साथ ही अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग अनुपलब्ध होना भी बताया है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने उनकी खातेदारी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 4 से ऋण प्राप्त किया है। किन्तु खसरा नम्बर 2367 रकबा 0.45 में से 702 वर्ग मीटर भूमि ही मार्ग हेतु प्रस्तावित की गयी है। खसरा नम्बर 2367 की शेष आराजी अप्रार्थी संख्या 4 के पास पूर्व अनुसार रहन रहेगी। प्रार्थी द्वारा 30 फिट रास्ता चाहा गया है किन्तु कृषि कार्य के लिये 15 फिट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण 15 फिट चौडा मार्ग प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 2367 रकबा 0.45 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त खसरा नम्बर में से 78 मीटर लम्बा व 4.5 मीटर चौडा कुल 351 वर्ग मीटर भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के बदले 21556/ अक्षरे इक्कीस हजार पांच सौ छप्पन रूपये अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को भुगतान होने के बाद उक्त भूमि सिवायचक खातें में गै.मु. रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:01:26 IST
Reason: SelfAttested